कार्यालय जिला पंचायत डिण्डौरी
आम सूचना

क्रमांक / पंचा.प्रको. / जि.पं. / .13 / 5619 डिण्डौरी दिनांक 14/8/2013

सर्व सधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत मरवारी जनपद पंचायत शहपुरा अतर्गत श्री विहारी लाल पुत्र गिरजा दीन झारिया ग्राम मरवारी को पंचायत कर्मी की नियुक्ति के संबध में न्यायालय अपर कलेक्टर जिला डिण्डौरी में अपील प्रकरण क्रमाक 39 (अ–89 अ–15)2010–11 में पारित आदेश दिनांक 11.03.13 के अनुसार मा0 उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर प्रकरण क्र. डब्लू पी नम्बर 14143 /2011 में पारित आदेश 28.01.13 के परिपालन में पंचायत प्रस्ताव क्र0 01 दिनांक 04.09.07 के अनुसार म.प्र. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 86 (1) के तहत श्री बिहारी लाल झारिया निवासी मरवारी को पंचायत कर्मी (ग्राम पंचायत सचिव) नियुक्ति किये जाने का आदेश पारित किया गया था ।

उक्त के संबध में के परिपालन में म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 69 (1) के तहत श्री प्रहलाद सिह मरकाम को ग्राम पंचायत अमेरा का सचिव घोषित किये जाने का आदेश पारित किया गया ।

अतः म.प्र. पंचायत राज एव ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 69 (1) के तहत श्री प्रहलाद सिह मरकाम पंचायत कर्मी ग्राम पंचायत अमेरा को ग्राम पचांयत अमेरा का सचिव घोषित किया जाना है ।

उपरोक्त के संबध में यदि किसी को दावा आपत्ति की जाना है तो जाहीर आम सूचना के दिनांक से 07 दिवस के अदंर कार्यालयीन समय पर दावा आपत्ति जिला पचांयत कार्यालय में किया जा सकता है । अन्यथा यह माना जावेगा कि किसी को कोई आपत्ति नही है एवं श्री बिहारी लाल पिता गिरजादीन झारिया ग्राम पचांयत मरवारी जनपद पचांयत शहपुरा को कलेक्टर जिला डिण्डौरी के द्वारा सचिव घोषित करने की कार्यवाही की जायेगी।

(मुख्य कार्यपालन अधिकारी जि.पं. द्वारा अनुमोदित)

परियोजना अधिकारी
जिला पंचायत डिण्डौरी

क्रमांक / पंचा.प्रको. / जि.पं. / .13 / 5619 A डिण्डौरी दिनांक 14/8/2013

प्रतिलिपि

1 कलेक्टर जिला डिण्डौरी की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
2 जिला सूचना अधिकारी, जिला सूचना केन्द्र डिण्डौरी की ओर प्रेषित कर लेख है कि एनआईसी की बेवसाइटमें पत्र अपलोड करने का कष्ट करें।
3 जिला जनसम्पर्क अधिकारी जिला डिण्डौरी की ओर सूचानार्थ एवं प्रकाशन कराये जाने हेतु ।

परियोजना अधिकारी
जिला पंचायत डिण्डौरी

कार्यालय जिला पचांयत डिण्डौरी
आम सूचना

कमांक / पंचा.प्रको. / जि.पं. / .13 / 5618 डिण्डौरी दिनांक 14/8/2013

सर्व सधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत अमेरा जनपद पंचायत शहपुरा द्वारा अपने प्रस्ताव क्र. 01 दिनांक 08.08.07 से श्री प्रहलाद सिह को पंचायत कर्मी के पद पर आदेश दिनांक 10.08.07 द्वारा नियुक्त किया गया था, जिसके विरूद्व श्री प्रताप सिह पिता श्री समारू सिह जाति गोड निवासी ग्राम अमेरा तह. शहपुरा के द्वारा मा. कलेक्टर न्यायालय में पंचायत पुनरीक्षण प्र. क्र. 28 (अ–89 अ–15) 2006–07 दायर की गयी, जिसमें दिनांक 11.08.08 को आदेश पारित कर प्रहलाद सिह की नियुक्ति को निरस्त कर श्री प्रताप सिह को पंचायत कर्मी के पद पर नियुक्ति किये जाने का आदेश दिया गया । उक्त पुनरीक्षण आदेश के विरूद्व श्री प्रहलाद सिह के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन क्र. डव्लू पी 14894 /2008 (S)याचिका दायर की गई जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.01.09 को स्थगन दिया गया था । इसी बीच श्री प्रताप सिह की नियुक्ति शा. उ. मा. वि. विक्रमपुर मे सहायक ग्रेड –03 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हो जाने से प्रताप सिह द्वारा सहायक ग्रेड –03 का पदभार ग्रहण कर लिया गया,उक्त तथ्य को मा0 उच्च न्यायालय में भी पक्षकारो द्वारा रखा गया । मा0 उच्च न्यायालय के रिट पिटीशन क्र. डव्लू पी 14894 /2008 में पारित आदेश दिनांक 13.02.13 में निर्देशित किया गया है कि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव दिनांक 08.08.07 को ध्यान में रखते हुऐ श्री प्रहलाद सिह को पंचायत कर्मी पद पर नियुक्ति किया जावे । मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के परिपाल में ग्राम पचायत के पत्र दिनांक 02.03.13 द्वारा श्री प्रहलाद सिह को ग्राम पचायत अमेरा का सचिव घौषित करने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शहपुरा को पत्र क्र0 से 1471 दिनांक 21.02.13 से लेख किया गया । मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शहपुरा द्वारा अपनी अनुशंसा सहित पत्र न्यायालय अपर कलेक्टर डिण्डौरी को भेजा गया ।

न्यायालय अपर कलेक्टर के प्रकरण क्र. 10 (अ–89अ–15)12–13 में पारित आदेश दिनांक 29.4.13 के अनुसार म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 69 (1) के तहत श्री प्रहलाद सिह मरकाम को ग्राम पंचायत अमेरा का सचिव घोषित किये जाने का आदेश पारित किया गया ।

अतः म.प्र. पंचायत राज एव ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 69 (1) के तहत श्री प्रहलाद सिह मरकाम पंचायत कर्मी ग्राम पंचायत अमेरा को ग्राम पचांयत अमेरा का सचिव घोषित किया जाना है ।

उपरोक्त के संबध में यदि किसी को दावा आपत्ति की जाना है तो जाहीर आम सूचना के दिनांक से 07 दिवस के अदंर कार्यालयीन समय पर दावा आपत्ति जिला पचांयत कार्यालय में किया जा सकता है । अन्यथा यह माना जावेगा कि किसी को कोंई आपत्ति नही है एवं श्री प्रहलाद सिह मरकाम पंचायत कर्मी ग्राम पचांयत अमेरा जनपद पचांयत शहपुरा को कलेक्टर जिला डिण्डौरी के द्वारा सचिव घोषित करने की कार्यवाही की जायेगी।

(मुख्य कार्यपालन अधिकारी जि.पं. द्वारा अनुमोदित)

परियोजना अधिकारी
जिला पंचायत डिण्डौरी

कमांक / पंचा.प्रको. / जि.पं. / .13 / 5618 A डिण्डौरी दिनांक 14 / 8 / 2013

प्रतिलिपि

1 कलेक्टर जिला डिण्डौरी की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।

2 जिला सूचना अधिकारी, जिला सूचना केन्द्र डिण्डौरी की ओर प्रेषित कर लेख है कि एनआईसी की बेवसाइटमें पत्र अपलोड करने का कष्ट करें।

3 जिला जनसम्पर्क अधिकारी जिला डिण्डौरी की ओर सूचानार्थ एवं प्रकाशन कराये जाने हेतु ।

परियोजना अधिकारी
जिला पंचायत डिण्डौरी

कार्यालय जिला पचांयत डिण्डौरी

आम सूचना

कमांक / पंचा.प्रको. / जि.पं. / .13 / 5617 डिण्डौरी दिनांक 14/8/2013

सर्व सधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत घेवरी जनपद पंचायत अमरपुर में पंचायत कर्मी श्री फूल चन्द सैयाम की मृत्यू दिनांक 27.7.10 को हो जाने के फल स्वरूप ग्राम पंचायत धेवरी मे रिक्त पंचायत कर्मी (सचिव) की पद पूर्ति हेतु कलेक्टर (पंचायत) जिला डिण्डौरी के पत्र क्र0 2448 दिनांक 27.08.10 से सरपंच ग्राम पंचायत घेवरी को निर्देशित किया गया था कि म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 86 (1) के तहत पंचायत कर्मी के रिक्त पद की पूर्ति 30 दिवस के अंदर करें । अन्यथा की स्थिति में धारा 86 (2) के तहत पद पूर्ति की कार्यवाही हेतु आपकी शक्तियॉ मुख्य कार्यापालन अधिकारी जनपद पंचायत अमरपुर को सौपी जावेगी ।

2 सरपंच ग्राम पंचायत घेवरी जनपद पंचायत अमरपुर के द्वारा आदेश दिनांक 07.10.10 के तहत म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम पचांयत स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 86 (1) के तहत ग्राम पंचायत घेवरी में रिक्त पंचायत कर्मी (सचिव) के पद पर श्री संतोष कुमार धुर्वे पिता श्री आंदन सिह धुर्वे ग्राम घेवरी को अशंकालिक रूप से मासिक मानदेय पर नियुक्त किया गया था ।

3 कार्यालय कलेक्टर(पंचायत) जिला डिण्डौरी के पत्र क्र. 5382 दिनांक 01.01.11 से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अमरपुर को ग्राम पंचायत में रिक्त पंचायत कर्मी (सचिव) पद की पूर्ति के संबध में लेख किया गया था कि ग्राम पंचायत घेवरी द्वारा श्री संतोष कुमार धुर्वे पिता श्री आंदन सिह धूर्वे को ग्राम पचांयत घेवरी का पंचायत कर्मी नियुक्त किया गया है जो कि म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के पत्र क्र. / पी.सी. / प.–4 / 2582 दिनांक 13.08.07 में दिये गये निर्देशों के विपरीत होने के कारण पुनः कलेक्टर जिला डिण्डौरी के पत्र क्र. 3514 दिनांक 09.11.10 के द्वारा नियमानुसार पुनः नियुक्ति किये जाने हेतु सरपंच ग्राम पचांयत घेवरी को निर्देशित किया गया था । किन्तु ग्राम पचांयत घेवरी के द्वारा पुनः उसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया जो पूर्व में नियुक्त किया गया था इस तरह ग्राम पंचायत घेवरी द्वारा पंचायत कर्मी की रिक्त पद की पूर्ति नियमानुसार नही की गई । उक्त के संबध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अमरपुर को निर्देशित किया गया कि म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 86 (2)के तहत पंचायत कर्मी नियुक्ति की कार्यवावही एतद द्वारा की जावे।

4 श्री संतोष कुमार धुर्वे पिता श्री आंनद सिह धुर्वे के द्वारा कलेक्टर जिला डिण्डौरी के पत्र क्र0 5382 दिनांक 01.01.11 के विरूद्व मा. न्यायालय शहडोल संभाग शहडोल में अपील प्रकरण क्र0 / 145 / अपील / 10–11 दायर की गई थी जो कि प्रकरण जबलपुर संभाग में स्थानान्तरित हुआ था ।

5 मा. एडीशनल कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के द्वारा उक्त अपील प्रकरण पर पारित आदेश दिनांक 11.3.13 के तहत अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश पत्र दिनांक 01.01.11 को अपास्त

किया गया है

6 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अमरपुर के आदेश पत्र क्र0 / 517 दिनांक 28.03.13 द्वारा पंचायत घेवरी द्वारा पचायत कर्मी की नियुक्ति की कार्यवाही मे श्री संतोष कुमार पिता आनंद सिंह निवासी ग्राम घेवरी को ग्राम पंचायत घेवरी में पचायत कर्मी के कर्तव्यों का निर्वाहन करने हेतु आदेशित किया गया है । एवं म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 69 (1) के अंतर्गत ग्राम पचांयत घेवरी का सचिव घोषित करने हेतु पत्र पृष्ठाकित किया गया है ।

अतः मा. न्या. एडीशनल कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के द्वारा पारित आदेश के परिपालन मे श्री संतोष कुमार धुर्वे पिता श्री आनंद सिह धुर्वे पंचायत कर्मी ग्राम पंचायत घेवरी को म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 69 (1) के तहत सचिवीय घोषणा किया जाना है ।

उपरोक्त के संबध में यदि किसी को दावा आपत्ति की जाना है तो जाहीर आम सूचना के दिनांक से 07 दिवस के अदंर कार्यालयीन समय पर दावा आपत्ति जिला पचांयत कार्यालय में किया जा सकता है । अन्यथा यह माना जावेगा कि किसी को कोई आपत्ति नही है एवं श्री संतोष कुमार धुर्वे पिता श्री आंनद सिह धुर्वे पंचायत कर्मी ग्राम पचांयत घेवरी जनपद पचांयत अमरपुर को कलेक्टर जिला डिण्डौरी के द्वारा सचिव घोषित करने की कार्यवाही की जायेगी।

(मुख्य कार्यपालन अधिकारी जि.पं. द्वारा अनुमोदित)

परियोजना अधिकारी
जिला पंचायत डिण्डौरी

क्रमांक / पंचा.प्रको. / जि.प. / 13 / 5617A डिण्डौरी दिनांक 14 / 8 / 2013

प्रतिलिपि

1 कलेक्टर जिला डिण्डौरी की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।

2 जिला सूचना अधिकारी, जिला सूचना केन्द्र डिण्डौरी की ओर प्रेषित कर लेख है कि एनआईसी की बेवसाइटमें पत्र अपलोड करने का कष्ट करें।

3 जिला जनसम्पर्क अधिकारी जिला डिण्डौरी की ओर सूचानार्थ एवं प्रकाशन कराये जाने हेतु ।

परियोजना अधिकारी
जिला पंचायत डिण्डौरी